Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 216-2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, DECEMBER 27, 2018 (PAUSA 6, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 27th December, 2018

No. 44-HLA of 2018/76/27126.— The Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 44- HLA of 2018

THE HARYANA MUNICIPAL (SECOND AMENDMENT) BILL, 2018

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Act, 1973.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Municipal (Second Amendment) Act, 2018.

Amendment of section 2A of Haryana Act 24 of 1973.

2. In sub-section (1) of section 2A of the Haryana Municipal Act, 1973,-

(i) in clause (i), after the words “area with”, the word “existing” shall be inserted;

(ii) in clause (ii), after the words “area with”, the word “existing” shall be inserted;

(iii) in clause (iii), after the words “area with”, the word “existing” shall be inserted; and

(iv) the existing Explanation shall be re-numbered as Explanation 1 and after the Explanation 1 so re-numbered, the following Explanation shall be inserted, namely:-

'Explanation 2.- "existing population" means the population projected for the year in which the constitution of the municipality is being considered as per the following formula, namely:-

$EP = P \times (1+AGR/100)^n$; where-

(i) EP - refers to existing population;

(ii) P - refers to the population defined in clause (45) of section 2;

(iii) AGR - refers to the annual growth rate in percent obtained from the last decennial census;

(iv) n - refers to the number of years from the last decennial census year to the year in which the constitution of the municipality is being considered.'.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. Section 2(19A) of the Haryana Municipal Act, 1973 defines the term 'population' as 'population' ascertained in the last preceding census of which the relevant figures have been published. The strict application of the definition sometimes binds the State Government to resort to outdated published figures, which do not reflect the contemporary actual position on the ground. It prevents the State Government from taking into account the contemporaneous growth in the population of an area during the interregnum period between the last census and present, which is not reflected till the time the official census is carried. It also hinders the effective administration of the area, in ways that the State Government considers necessary. The above definition finds its foundation in Article 243P(g) of the Constitution of India, on the basis of which it has been adopted in various State legislations of similar nature. A complete amendment of the same may lead to unnecessary litigation. The Advocate General, Haryana has suggested that the State Government may consider adding an explanation to the specific definition clause empowering the State Government to take into account contemporaneous growth in the population of an area, on cogent evidence, for the purposes of this Act, which would be legally and constitutionally permissible. Therefore, it is proposed that the matter may be considered for taking into account the contemporaneous growth in the population of an area during the interregnum period between the last census, which is not reflected till the time the official census is carried, for declaring a Municipality in the State by inserting a provision of 'existing population' in clause (i), (ii) & (iii) of sub-section (1) of Section 2A of the Haryana Municipal Act, 1973 and to insert the 'explanation' of 'existing population' in the Act.

KAVITA JAIN,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 27th December, 2018.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2018 का विधेयक संख्या 44-एच०एल०ए०

हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम ।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।

1973 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 2क का संशोधन।

2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 2क की उपधारा (1) में,–

(i) खण्ड (i) में, ''जनसंख्या'' शब्द से पूर्व, ''वर्तमान'' शब्द रखा जाएगा;

(ii) खण्ड (ii) में, ''जनसंख्या'' शब्द से पूर्व, ''वर्तमान'' शब्द रखा जाएगा;

(iii) खण्ड (iii) में, ''जनसंख्या'' शब्द से पूर्व, ''वर्तमान'' शब्द रखा जाएगा;

(iv) विद्यमान व्याख्या, व्याख्या 1 के रूप में पुनः–संख्यांकित की जाएगी और इस प्रकार पुनः–संख्यांकित व्याख्या 1 के बाद, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्:–

'व्याख्या 2.– ''वर्तमान जनसंख्या'' से अभिप्राय है, वर्ष, जिसमें नगरपालिका का गठन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार सुविचारित किया जा रहा है, के लिए संभावित जनसंख्या, अर्थात्:–

व.ज.= ज.एक्स (1+ वा.वृ.द / 100) सं.; जहां–

(i) व.ज.– वर्तमान जनसंख्या को निर्दिष्ट करता है;

(ii) ज.– धारा (2) के खण्ड (45) में परिभाषित जनसंख्या को निर्दिष्ट करता है;

(iii) वा.वृ.द.– अन्तिम दशवार्षिक जनगणना से प्राप्त प्रतिशत में वार्षिक वृद्धि दर को निर्दिष्ट करता है;

(iv) सं.– अन्तिम दशवार्षिक जनगणना वर्ष से वर्ष, जिसमे नगरपालिका का गठन सुविचारित किया जा रहा है, तक के वर्षों की संख्या को निर्दिष्ट करता है ।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 2(19क) द्वारा 'जनसंख्या' शब्द को नवीनतम जनगणना के आधार पर प्रकाशित किये गये आकड़ों अनुसार 'जनसंख्या' के रूप में परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा लागू करना कभी–कभी राज्य सरकार को पुराने प्रकाशित आंकड़ों को लागू करने के लिये बाध्य करता है, जो जमीनी स्तर पर समकालीन वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता हैं। यह राज्य सरकार को पिछली जनगणना और वर्तमान समय के अन्तराल की अवधि के दौरान किसी क्षेत्र की आबादी में हुई बढ़ौतरी की गणना करने से रोकता है तथा यह सम्बन्धित क्षेत्र के प्रशासन को भी प्रभावित करता है, जिसे राज्य सरकार आवश्यक समझती है। उक्त परिभाषा को भारत के संविधान की धारा 243त(छ) के आधार पर विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों द्वारा समान रूप में अपनाया गया है। इसलिए इसे पूर्ण रूप से संशोधित करना अनावश्यक मुकदमेबाजी को आमन्त्रित करेगा। महाधिवक्ता, हरियाणा द्वारा सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकार विशेष खण्ड़ के रूप में उदाहरण जोड़कर इसे परिभाषित कर सकती है जो राज्य सरकार को सम्बन्धित क्षेत्र में जनगणना के पश्चात जनसंख्या में हुई वृद्धि की गणना करने के उद्देश्य को हल कर सकती है तथा जो कानूनी रूप से भी मान्य होगी। इसलिये, राज्य में किसी पालिका का गठन करने हेतु, पूर्व जनगणना तथा वर्तमान समय के बीच की अवधि के दौरान किसी क्षेत्र की आबादी में हुई बढ़ौतरी को मध्यनजर रखते हुये, जनसंख्या की गणना करने के लिये, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 2क की उप–धारा (1) के खण्ड (i), (ii) तथा (iii) में 'जनसंख्या' के स्थान पर 'वर्तमान जनसंख्या' का प्रावधान करने व वर्तमान जनसंख्या की गणना करने के लिये 'उदाहरण' जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

कविता जैन,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 27 दिसम्बर, 2018.

आर० के० नांदल,
सचिव।

8498—H.V.S.—H.G.P.,Pkl.